रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India,

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 203] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 11, 1972/भाद्र 20, 1894
No. 203] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 11, 1972/BHADRA 20, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 11th September 1972

SUBJECT.—*Import Policy for Registered Exporters for the year* 1972-73 (*Amendment No.* 20).

No. 130-ITC(PN)/72.—Attention is invited to the Import Policy for Registered Exporters contained in the Import Trade Control Policy Book (Volume II) for the period April 1972—March, 1973 issued under the Ministry of Foreign Trade Public Notice No. 47-ITC(PN)/72, dated 3rd April, 1972.

2. The following amendments may be made at the appropriate places as indicated below:—

Page No. of the Red Book (Voll. II)	Reference	Amendment
1.61	A-72 Col. 4	After the existing entry (d) the following may be inserted, "(e) Chlorinated Diphenyl. (f) Metallised Porcelain Insulators."
2.66	A-76 Col. 4	After the existing entry (s), the following may be inserted :— "(t) Aluminium Foils (u) Insulation Papers (v) Capacitor Papers"
3 68	A-91.2 Col. 2	The existing description may be amended to read as under :- "Radio Receivers (Valve and Transistorised), Public Address Equipment, Amplifiers (Valve and transistorised), Car Radios, Radiograms, Tape Recorders, Microphones, Hearing-Aids, and all Electronic components including Microwave components Electronic Devices, sub-assemblies and equipment and electronic piece parts, NOS"

NOTE: This amendment will be applicable in respect of exports made on or after 1. 7, 1972.

4.	102	B. 62.2 Col. 4 (entry f)	The following may be substituted for the existing entries:—
5.	102	B. 62.4 Col. 4 Entry(i)	"Zinc Metal (for conversion into Zinc Oxide), and Zinc Oxide active (25%)."
6.	103	B. 62.7(i) Col. 4 Entry(i).	
7.	103	B. 62.7(ii) Col. 4 (Entry-f)	
8.	104	B. 62.8 Col. 4 Entry(d)	

3. Consequent to the amendment at S. No. 3 above, the entry "Radio Receiver (Valve and Transistorised);.....and electronic piece parts NOS" appearing at page (xviii) of the Index to the aforesaid Policy Book may be amended to read as "Radio Receivers (Valve and Transistorised); Public Address Equipment; Amplifiers (Valve and Transistorised); Car Radios; Radiograms; Tape Recorders; Microphones; Hearing Aids; and all Electronic Components including Microwave components; Electronic Devices, sub-assemblies and equipments and electronic piece parts. NOS."

M. M. SEN,
Chief Controller of Imports and Exports.

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 11 सितम्बर 1972

विषय.—अप्रैल, 1972-मार्च, 1973 वर्ष के लिए पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति (संशोधन सं० 20)

संख्या 130-आई० टी० सी० (पी एन) / 72.—विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं० 47-आई टी सी (पी एन)/72 दिनांक 3-4-1972 के अंतर्गत अप्रैल, 1972-मार्च, 1973 वर्ष के लिए जारी की गई आयात व्यापार नियंत्रण नीति पुस्तक (वा० 2) में पंजीकृत निर्यातकों के लिए निहित आयात नीति की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

2. निम्नलिखित संशोधन नीचे निर्दिष्टानुसार उपयुक्त स्थानों पर किए जाएं :—

रैडबुक (वा० 2) की पृष्ट संख्या		संदर्भ	संशोधन
1		2	3
1.	61	ए० 72 ——— कालम 4	वर्तमान प्रविष्टि (डी) के बाद निम्नलिखित प्रविष्टि निविष्ट की जाए :— "(ई) क्लोरिनीकृत डीफेनिल । (एफ) धत्वीकृत पोर्सिलेन पृथक्कारी ।"
2.	66	ए० 76 ——— कालम 4	वर्तमान प्रविष्टि (एस) के बाद निम्नलिखित प्रविष्टि निविष्ट की जाए :— "(टी) ऐल्यूमीनियम पर्णिका (यू) तापावरोधन कागज (वी) धारित कागज ।"
3.	68	ए० 91.2 ——— कालम 2	वर्तमान विवरण को यथा निम्न पढ़ने के लिए संशोधन किया जाए :— "रेडियो रिसीवर्स (वाल्व और ट्रैंसिस्टराइज्ड) सार्वजनिक अभिभाषण उपस्कर, प्रवर्धक (वाल्व तथा ट्रैंसिस्टाराइज्ड) कार रेडियो, रेडियोग्राम, टेप रिकार्डर्स, माइक्रोफोन, श्रवण सहाय, और सूक्ष्म तरंग संघटकों सहित सभी इलैक्ट्रानिक संघटक, इलैक्ट्रानिक साधन, उप-संयोजन और सज्जीकरण और इलैक्ट्रानिक पीस पार्टस, अन्यथा विशिष्टिकृत नहीं ।"

टिप्पणी :—यह संशोधन 1-7-1972 को या इसके बाद में किए गए निर्यातों के संबंध में लागू होगा ।

1	2	3
4.	102 बी० 62.2 ——— कालम 4 (प्रविष्टि एफ)	वर्तमान प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाए :—
5.	102 बी० 62.4 ——— कालम 4	
6.	103 बी० 62.7 (1) ——— कालम 4 प्रविष्टि (आई)	"जिंक धातु (जिंक आक्साइड में रुपान्तरण के लिए), और जिंक आक्साइड क्रियात्मक (25%)।"
7.	103 बी० 62.7 (2) ——— कालम 4 (प्रविष्टि–एफ)	
8.	104 बी० 62.8 ——— कालम 4 (प्रविष्टि–डी)	

उपर्युक्त क्रम सं० 3 पर उल्लिखित संशोधन के परिणामस्वरूप, पूर्वोक्त नीति पुस्तक के सूचक के पृष्ठ 18 पर दिखाई गई प्रविष्टि "रेडियो रिसीवर (वाल्व तथा ट्रैन्सिस्ट्राइज्ड),.....और इलैक्ट्रानिक पीस पार्टस अन्यथा विशिष्टीकृत नहीं" को संशोधित कर "रेडियो रिसीवर्स (वाल्व तथा ट्रैन्सिस्ट्राइज्ड), सार्वजनिक अभिभाषण उपस्कर, प्रवर्धक (वाल्व तथा ट्रैन्सस्ट्राइज्ड), कार रेडियो, रेडियोग्राम, टेप रिकार्डर्स, माइक्रोफोन्स, श्रवण सहाय और सूक्ष्म तरंग संघटकों सहित सभी इलैक्ट्रानिक संघटक, इलैक्ट्रानिक साधन, उप संयोजन तथा सज्जीकरण और इलैक्ट्रानिक पीस पार्ट्स, अन्यथा विशिष्टीकृत नहीं' पढ़ा जाए ।

एम० एम० सेन,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972